ORDER SHEET 466-2013Rct

THECOURT	-QL-	*-	 	 . – – –	
		- 1			

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
09-02-17	राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपी कोमल सिंह अनुपस्थित की ओर से अधि०श्री बी०एस०यादव उपस्थित। अनुपस्थित आरोपी की ओर से अधि०श्री बी०एस०यादव उपस्थित। अनुपस्थित आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा द०प०स० की धारा 317 अंतर्गत हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत किया गया वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं अनुपस्थित आरोपी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता मान्य की गई। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। इसी प्रकम पर फरियादी संजीव व आहत श्रीमती सीताबाई उप० है।फरियादी व आहत की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गई हैं। इसी प्रकम पर फरियादी संजीव एवं आहत सीताबाई द्वारा द०प०स०की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने का निवेदन किया गया। जिसे अभिलेख पर लिया गया। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी कोमल के विरुद्ध भादस की धारा 294,323 एवं 506 माग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी संजीव व आहत श्रीमती सीताबाई ने आरोपी से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतःवाद विचार राजीनामा अवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी कोमल को भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी कोमल को भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।	C. SANT

कोमल की दोषमुक्ति की सूचना उसके अधिवक्ता को दी गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत मुचलके भारहीन किये गये। प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार রা জা सही / – प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद ALIAN PARENTA SUNTA